एस.एम.एस. अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एन.ओ.सी. देने के रैकेट का खुलासा

मामले में एसीबी की टीम ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ई.एच.सी.सी. अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट को-ऑर्डिनेटर अनिल जोशी को गिरफ्तार किया

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रविवार देर रात को जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में रुपये लेकर अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी देने के मामले में सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट को-ऑर्डिनेटर अनिल जोशी को लेनदेन करते गिरफ्तार किया है। मामले में फोर्टिस अस्पताल के अंग प्रत्यारोपण समन्वयक विनोद को भी पकड़ा है।

एसीबी की टीम ने मौके से सत्तर हजार रुपये और तीन फर्जी एनओसी लेटर भी जब्त किए हैं। साथ ही एसीबी के अधिकारियों ने आरोपी गौरव सिंह और अनिल जोशी के घर और अन्य ठिकानों पर सर्च किया। एसीबी को गौरव सिंह के घर से 100 से अधिक फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं। किसी भी सर्टिफिकेट पर साइन और मुहर नहीं थी, लेकिन इन पर अस्पतालों के नाम लिखे थे। एसीबी की टीम ने आरोपी के ऑफिस से महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। उधर मामले में चिकित्सा विभाग ने ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है।

गौरव सिंह को सस्पेंड किया

जांच में सामने आया कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को 20 मार्च को अंग प्रत्यारोपण संबंधी यूनिट से हटाकर सवाई मानसिंह अस्पताल में संपर्क पोर्टल शिकायत निवारण यूनिट में लगाया था। लेकिन उसने जॉइन नहीं किया था। गौरव सिंह को सोमवार को अस्पताल प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया। एसीबी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी मामले में फोर्टिस अस्पताल के को-ऑर्डिनेटर विनोद सिंह को भी गिरफ्तार किया है। विनोद ने भी रिश्वत देकर फर्जी एनओसी बनवाई थी। एसीबी ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए चार दिन के रिमांड पर लिया है।

गिरफ्तार तीनों आरोपी गौरव सिंह, अनिल जोशी व विनोद।

- इस मामले में फोर्टिस अस्पताल के अंग प्रत्यारोपण समन्वयक विनोद को भी गिरफ्तार किया
- एसीबी ने रविवार देर रात डेढ़ बजे कार्रवाई को अंजाम दिया।
- एसीबी ने मौके से सत्तर हजार रुपये और तीन फर्जी एनओसी लेटर जब्त किए।
- आरोपी गौरव सिंह के घर से 100 से अधिक फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं।
- मामले में चिकित्सा विभाग ने ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस सस्पेंड किया।

एसएमएस प्रशासन ने की थी शिकायत

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि एसीबी के पास तीन दिन पहले एसएमएस अस्पताल के अधिकारी ने शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोई अंग प्रत्यारोपण के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट बिना कमेटी की बैठक के जारी कर रहा है। साथ ही यह लोग पैसा लेकर फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बिना कमेटी के जारी इन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं हैं। यह लोग निजी अस्पतालों से सांठगांठ कर पैसा कमाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इस सूचना के बाद एसीबी के डीआईजी डॉ. रवि के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने गोपनीय तरीके से संदिग्ध अधिकारी की पहचान कर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद एसीबी ने रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे एसएमएस के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को एनओसी के बदले लेन-देन करते समय रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसीबी की प्रारम्भिक जांच में सामने आया कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह रिश्वत के बदले पिछले कई महीनों से कमेटी के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए एनओसी बनाकर कई अस्पतालों को दे चुका है।

इधर, मामले में ईएचसीसी अस्पताल ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट को-ऑर्डिनेटर अनिल जोशी को सस्पेंड कर दिया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनकी ओर से आंतरिक जांच की जा रही है। साथ ही वह एसीबी को जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

उच्च स्तरीय कमेटी का गठन

मामले को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने रिश्वत लेकर अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी देने के प्रकरण में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उच्च स्तरीय कमेटी से प्रकरण की जांच करवाने और 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इस प्रकरण को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है।

एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा ने बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक सतत प्रक्रिया है। केवल मरीज के ब्लड रिलेशन वाले को ही एनओसी दी जाती है। कमेटी में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजीव बगरहट्टा, ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉ. अनुराग धाकड़, कार्डियक सर्जन डॉ. रामगोपाल यादव, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा, नेफ्रोलॉजी और गेस्ट्रॉलोजी के एक-एक डॉक्टर और अंगदान के क्षेत्र में काम करने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते है। इस कमेटी के पास जब कोई लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट का केस आता है तो सबसे पहले डोनर और रिसीवर का ब्लड रिलेशन जांच करते हैं। अगर वह ब्लड रिलेशन में होता है तो दोनों (रिसीवर और डोनर) की मेडिकल जांच होती है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर एनओसी जारी की जाती है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। राजस्थान में अभी किडनी ट्रांसप्लांट 14 हॉस्पिटल में होता है।

लाइसेंसधारी की इच्छा के बिना शराब की दुकानों का नवीनीकरण नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आबकारी अधिनियम या अन्य नियमों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लाइसेंसधारियों की इच्छा के बिना उनकी शराब की दुकानों का नवीनीकरण कर दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में विभाग की ओर से जारी 13 मार्च के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश कृष्णा शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह रोक सिर्फ याचिकाकर्ताओं के प्रकरणों में ही रहेगी। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि प्रदेश में करीब सात हजार पांच सौ से अधिक शराब की दुकानें हैं। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2023-24 के लिए दुकान संचालन के लिए लाइसेंस लिया था। इस नए वित्तीय वर्ष में करीब 4000 से अधिक दुकानों की बोली नहीं छूटी है। याचिकाकर्ताओं की दुकानों की भी आबकारी विभाग ने बोली लगाई, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। वहीं विभाग ने गत 13 मार्च को आचार संहिता का हवाला देते हुए आदेश निकाला कि जिन दुकानदारों का लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो रहा है, उन्हें नए नियमों के आधार पर तीन माह के लिए रिन्यू किया जा रहा है।

देश की महिलाओं का मोदी ने बढ़ाया है मान : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी जयपुर लोकसभा क्षेत्र के सांगानेर विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन किया।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी जयपुर लोकसभा क्षेत्र के सांगानेर विधानसभा कार्यालय उद्घाटन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का मान बढ़ाया है, चाहे वह शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत हो, चाहे तीन तलाक हो या उज्जवला योजना के अंतर्गत दी गई सुविधाओं के अंतर्गत हो।

विधानसभा कार्यालय उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा जयपुर शहर से मंजू शर्मा को रिकार्ड मतों से विजय दिलवाएंगे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के 400 के लक्ष्य में सहयोग कर राजस्थान से हैट्रिक लगाते हुए 25 सीटों को जीता कर हमारे सांसदों को दिल्ली भेजेंगे। यह निश्चित ही संभव है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश के विकास के लिए नए आयामो को छुआ है और ऐसे ऐतिहासिक कार्य करके दिए हैं जो पिछले 50 सालों में नहीं हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का विश्व में मान बढ़ाया है और इस बात को जानता जानती भी है इसी को ध्यान में रखते हुए जनता भाजपा को वोट देगी और निश्चित ही हम 400 के लक्ष्य को पार करेंगे और आने वाले समय में देश के हित में ऐतिहासिक फैसले लेंगे। कार्यक्रम में मंच पर प्रदेश और शहर की सभी महिला मोर्चे की पदाधिकारी मौजूद रही।

'शादी के बाद किसी दूसरे से संबंध बनाना अपराध नहीं'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में कहा है कि शादी के बाद किसी दूसरे से संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जस्टिस बीरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेमी के साथ लिव इन में रहने वाली पत्नी के पति की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यह सच है कि भारतीय समाज में शारीरिक संबंध विवाहित जोड़े के बीच ही होने चाहिए, लेकिन जब वयस्क स्वेच्छा से वैवाहिक संबंधों के बाहर संबंधों में शामिल होते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। वयस्क युवक-युवती शादी के बाद किसी अन्य के साथ लिव इन में रहते हैं तो यह आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं की है।

मामले के अनुसार पति ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि उसने अपनी पत्नी के अपहरण को लेकर वर्ष 2021 में भरतपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी।

जीवंत संस्कृति वाला प्रदेश है ओडिशा : मिश्र

जयपुर, (का.सं.)। राजभवन में सोमवार को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस दौरान ओडिशा के स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामना दी।

राज्यपाल मिश्र ने कहा कि ओडिशा समृद्ध पारंपरिक विरासत के साथ जीवंत संस्कृति वाला प्रदेश है। उन्होंने ओडिशा को भगवान जगन्नाथ, लिंगनाथ की धरती बताते हुए कहा कि अध्यात्म की भारतीय परंपरा से जुड़ी यह भूमि कला की भारतीय परंपरा से भी सर्वाधिक समृद्ध है।

उन्होंने कोणार्क, उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाओं की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी जो कलात्मक धरोहर है, सभी उसे संरक्षित करने में भी योगदान दें। उन्होंने विश्व इतिहास में प्रसिद्ध रहे कलिंग युद्ध और सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा करते हुए मानवीय मूल्यों के लिए कार्य करने का आव्हान किया।

मिश्र ने ओडिशा के समृद्ध अतीत को याद करते हुए भविष्य के विकास के लिए सतत प्रतिबद्ध होकर कार्य करने पर जोर दिया। इससे पहले ओडिशा के स्थानीय जनों ने राजस्थान में रहने और ओडिशा की संस्कृति के अनुभव साझा किए। आरंभ में राज्यपाल ने सभी को संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और मूल कर्तव्य पढ्कर सुनाए। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव गौरव गोयल और प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल उपस्थित रहे।

राज्यपाल पिंजरापोल गौशाला पहुंचे, गौ-धन संरक्षण का किया आव्हान

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र सोमवार को जयपुर स्थित पिंजरापोल गौशाला स्थित वैदिक वन औषधीय पौध केन्द्र पहुंचे। उन्होंने वहां गौ माता की पूजा कर गौ सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों, दुर्लभ औषधियों पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पिंजरापोल गौशाला में उन्होंने प्राचीन श्री काल भैरव मंदिर के भी दर्शन कर पूजा अर्चना कर सबके मंगल की भी कामना की।

- राज्यपाल ने गौ-काष्ठ और अन्य उत्पादों तथा औषधीय पौधों के संरक्षण की सराहना की

राज्यपाल ने गौशाला में गौ-माता की विभिन्न प्रजातियों और गौ-उत्पादों के निर्यात के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

राज्यपाल मिश्र ने इस दौरान वनौषधियों के संरक्षण के साथ ही जैविक फसल उत्पादन, वनों के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कार्य करने का आ ान किया। उन्होंने गौ माता के गोबर से बनी लकड़ी, अन्य उत्पादों का उपयोग करने और गौ-धन संरक्षण के लिए सबको मिलकर प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गौ-माता हमारा पोषण करती है। गौ धन संरक्षण हम सभी का दायित्व है।

इससे पहले उन्होंने वहां महिला स्वयंसमूह की गतिविधियों और उत्पादों का भी अवलोकन किया।

इससे पहले राज्यपाल मिश्र के गौशाला पहुंचने पर अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के अन्तर्राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अतुल गुप्ता ने उनका स्वागत किया। उन्होंने गौशाला के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से उन्हें जानकारी दी।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को जयपुर स्थित पिंजरापोल गौशाला में गौ माता की पूजा की।

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा
खण्ड कोटा राजस्थान
सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
मुकदमा नम्बर 610/2024

चूंकि श्री सुरेश चन्द विजय पुत्र श्री नन्द किशोर विजय निवासी प्लॉट नं. 106 ए आर के पुरम कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यारा अधिनियम, 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रन्यास "सुमित बाल विद्यालय शिक्षा विकास समिति कोटा" 76 (34) क्वार्टर महावीर नगर कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 28.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 05.06.2024 है।

(मुद्रा) सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग कोटा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा
खण्ड कोटा राजस्थान
सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
मुकदमा नम्बर 617/2024

चूंकि श्रीमती अल्का गुप्ता पत्नि श्री अरविन्द गुप्ता निवासी 1 च 12 टीचर्स कोलोनी कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रन्यास "नालन्दा एज्युकेशनल सोसायटी कोटा" प्लॉट नं. 484 ए इण्डस्ट्रीयल एरिया आईपीआईए जिला कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दियाहै।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्तप्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्तआवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 28.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 05.06.2024 है।

(मुद्रा) सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा

क्रमांक : एफ-15/ कृ.भू.रु/2024/1223 **विज्ञप्ति** दि. 1.4.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना फेण्डस कॉलोनी खसरा नं0 155 में स्थित भूखण्ड संख्या 129 व 128 का उत्तरी भाग आवेदक/आवेदिका श्रीमती गिरजा कंवर पत्नि स्व0 श्री बृजराज सिंह निवासी 129 फेण्डस कॉलोनी बोरखेडा कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 9323 दिनांक 21.03.2011 को श्री बृजराज सिंह पुत्र श्री अनार सिंह के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 05.12.2020 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पत्नि श्रीमती गिरजा कंवर, पुत्र हेमन्त सिंह, मनुराज सिंह, पुत्री निशा कंवर, राजनन्दनी है। वारिसान हेमन्त सिंह, मनुराज सिंह, पुत्री निशा कंवर, राजनन्दनी द्वारा जर्ये रजि0 रिलीज डीड दिनांक 02.12.2020 को आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अत: श्रीमती गिरजा कंवर पत्नि स्व0 श्री बृजराज सिंह के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उप सचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा

क्रमांक : एफ11 विक्रय/2024/95 **नाम हस्तांतरण चाहने बाबत् आम सूचना** दि. 1.4.2024

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा योजना विजया राजे सिंधिया नगर भूखण्ड संख्या एच-138 का आवंटन क्रमांक 112 दिनांक 22.12.2016 को श्री अजीत सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह के नाम आवंटन किया गया था। आवंटी श्री अजीत सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह की मृत्यु दिनांक 06.11.2023 हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्री श्री अजीत सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत वसीयत नामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, गवाहों के शपथ पत्र, आईडी इत्यादि के आधार पर श्री पृथी पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री अजीत सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या एच-138 विजया राजे सिंधिया नगर अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास, कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या एच-138 विजया राजे सिंधिया नगर का नामहस्तान्तरण श्री पृथी पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री अजीत सिंह के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा

क्रमांक : 2177 **नाम हस्तांतरण चाहने बाबत् आम सूचना** दि. 1.4.2024

नगर विकास न्यास कोटा की नई धानमंडी व्यवसायिक योजना के भूखण्ड संख्या 3-ए का आवंटन दिनांक 30.07.1971 को मै0 छीतरलाल, गोपाल लाल, प्रो0 छीतरलाल गोपालाल के पक्ष में किया गया था। छीतरलाल, गोपाल लाल की मृत्यु होने से उनके उतराधिकारियों के हक त्याग पत्र के आधार पर न्यास में दिनांक 23.04.2010 को श्री राजेन्द्र प्रकाश पुत्र श्री गोपाल लाल के नाम से हस्तान्तरण स्वीकृति जारी हो चुकी है श्री राजेन्द्र प्रकाश की मृत्यु दिनांक 19.11.2023 को होने से उनके द्वारा अपने जीवनकाल में की गई पंजीकृत वसीयत दिनांक 05.11.2018 को अपनी पत्नी श्रीमती रतन बाई जैन के पक्ष में की गई थी। आवेदिका श्रीमती रतनबाई जैन के द्वारा वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र इत्यादि प्रस्तुत कर अपने नामहस्तान्तरण हेतु आवेदन किया है जिसे पर प्राप्त विधिक राय के अनुसार नामान्तरण होना है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 3-ए योजना नई धानमंडी व्यवसायिक का नाम हस्तान्तरण श्रीमती रतनबाई जैन पत्नी श्री राजेन्द्र प्रकाश के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव नगर विकास न्यास, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक: 4768 **जाहिर आम सूचना** दि. 23.03.2024

आवास संख्या 5-एल-9 महावीर नगर तृतीय, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री रामेश्वर प्रसाद विजय पुत्र श्री राम प्रसाद विजय को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री उग्रसेन गुप्ता के नाम दिनांक 06.01.1999 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री उग्रसेन गुप्ता के नाम दिनांक 29.01.1999 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री उग्रसेन गुप्ता द्वारा इस आवास का बैचान जरिय विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 25.08.2004 को श्री आर.बी. विजय पुत्र स्व. श्री रामरतन विजय को किया गया। श्री आर.बी. विजय पुत्र स्व. श्री रामरतन विजय का नाम दिनांक 06.09.2016 को विक्रय पत्र के आधार पर मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात् श्री आर.बी. विजय पुत्र स्व. श्री रामरतन विजय द्वारा इस आवास का बैचान जरिय विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 15.05.2023 को श्रीमती उषा मीना पत्नी श्री रमेश कुमार मीना को किया गया। श्रीमती उषा मीना पत्नी श्री रमेश कुमार मीना द्वारा इस कार्यालय मे प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 5-एल-9 महावीर नगर तृतीय, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख मे दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उषा मीना पत्नी श्री रमेश कुमार मीना के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उषा मीना पत्नी श्री रमेश कुमार मीना का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उषा मीना पत्नी श्री रमेश कुमार मीना के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक: 04 **जाहिर आम सूचना** दि.1.04.2024

आवास संख्या 1-श-1 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री मोहम्मद रफीक पुत्र श्री मोहम्मद यासीन को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री मोहम्मद रफीक पुत्र श्री मोहम्मद यासीन द्वारा दि. 31.03.1992 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरान्त श्री मोहम्मद रफीक पुत्र श्री मोहम्मद यासीन द्वारा इस आवास का उपहार जरिय उपहार पत्र (गिफट डीड) आलेखित कर दि. 05.05.2017 को श्री हमीद पुत्र श्री मोहम्मद यासीन को किया गया। श्री हमीद पुत्र श्री मोहम्मद यासीन का नाम दि. 27.01.2020 को उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री हमीद पुत्र श्री मोहम्मद यासीन की मृत्यु दिनांक 21.08.2020 को हो इनकी पत्न श्रीमती आमना की मृत्यु दि. 01.09.2023 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों ने श्री जुल्फिकार अली पुत्र स्व. हमीद द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दि. 14.03.2024 को अपने भाई श्री जाकिर हुसैन पुत्र स्व. श्री हमीद के पक्ष में किया गया। श्री जाकिर हुसैन पुत्र स्व. श्री हमीद द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-श-1 विज्ञान नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री जाकिर हुसैन पुत्र स्व. श्री हमीद के नाम करने में किसी भी पक्षकार/ व्यक्तिको कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री जाकिर हुसैन पुत्र स्व. श्री हमीद के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्तआवास का हस्तांतरण/ प्रतिस्थापन श्री जाकिर हुसैन पुत्र स्व. श्री हमीद के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक: 5093 **जाहिर आम सूचना** दि.30.03.2024

आवास संख्या 1-ग-7 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री गला मल पुत्र श्री छारूमल को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री गला मल पुत्र श्री छारूमल द्वारा दिनांक 19.12.1988 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री गला मल पुत्र श्री छारूमल की मृत्यु दिनांक 26.06.1990 को हो चुकी है। श्री गला मल पुत्र श्री छारूमल द्वारा उक्त आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 24.01.1978 को अपनी पत्नी श्रीमती हीरा बाई एवं अपने पोत्र श्री नारायण दास पुत्र स्व. श्री रामलाल के पक्ष में संयुक्त रूप से आलेखित की गई। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती हीरा बाई पत्नी स्व. श्री गला मल की मृत्यु दिनांक 14.07.1992 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री नारायण दास पुत्र स्व. श्री रामलाल द्वारा आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री नारायण दास पुत्र स्व. श्री रामलाल के नाम करने में किसी भी पक्षकार/ व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री नारायण दास पुत्र स्व. श्री रामलाल के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्तआवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री नारायण दास पुत्र स्व. श्री रामलाल के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक: 03 **जाहिर आम सूचना** दि.1.04.2024

आवास संख्या 4-ए-27 महावीर नगर तृतीय, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री जगदीश चन्द विजय पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद विजय को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री जगदीश चन्द विजय पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद विजय के नाम दि. 09.10.1998 को किया गया। पंजीयन उपरांत श्री जगदीश चन्द विजय पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद विजय द्वारा उक्तआवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दि. 14.11.2013 को श्री नन्द किशोर गर्ग पुत्र श्री जुगल किशोर गर्ग व श्रीमती प्रमिला गर्ग पत्नी श्री नन्द किशोर गर्ग को संयुक्त रूप से किया गया। श्री नन्द किशोर गर्ग पुत्र श्री जुगल किशोर गर्ग व श्रीमती प्रमिला गर्ग पत्नी श्री नन्द किशोर गर्ग का नाम दि. 09.01.2014 को विक्रय पत्र के आधार पर मण्डल अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज किया गया। तत्पश्चात् श्री नन्द किशोर गर्ग पुत्र श्री जुगल किशोर गर्ग व श्रीमती प्रमिला गर्ग पत्नी श्री नन्द किशोर गर्ग द्वारा उक्तआवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दि. 13.01.2023 को श्रीमती भागवती कुकरेजा पत्नी श्री मोहन लाल कुकरेजा को किया गया। श्रीमती भागवती कुकरेजा पत्नी श्री मोहन लाल कुकरेजा द्वारा इस कार्यालय मे प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-ए-27 महावीर नगर तृतीय, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख मे दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती भागवती कुकरेजा पत्नी श्री मोहन लाल कुकरेजा के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार /व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती भागवती कुकरेजा पत्नी श्री मोहन लाल कुकरेजा का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती भागवती कुकरेजा पत्नी श्री मोहन लाल कुकरेजा के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज.)
राजीव गाँधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल-कोटा
Email : nnkota@gmail.com, Website : www.kotamc.org

क्रमांक-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/1446 दिनांक-01.04.2024

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञिप्त

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि श्री लीलाधर रामचन्दानी आत्मज स्व0 श्री घनश्याम दास निवासी करणी माता मंदिर के पास रेतवाली, कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड करणी माता मंदिर के पास रेतवाली, कोटा स्थित भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 1310 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखण्ड करणी माता मंदिर के पास रेतवाली, कोटा स्थित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1310 वर्गफुट का विकय जरिये रजिस्टर्ड श्री भंवर लाल आत्मज श्री माधोलाल निवासी गुमानपुरा से श्री हिरालाल आत्मज श्री घनश्याम दास एवं श्री घनश्याम दास आत्मज श्री धर्मदास को किया गया। जिसका पंजियन कार्यालय उप पंजियक कोटा में दिनांक 23.06.1969 को पंजिकृत है। ततपश्चात् श्री हिरालाल आत्मज श्री घनश्याम दास ने उक्त भूखण्ड में निहित उनके 1/2 अविभजित हिस्से का हक त्याग श्री घनश्याम दास आत्मज श्री धर्मदास के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड त्याग पत्र कर दिया। जिसका पंजियन कार्यालय उप पंजियक कोटा में पंजिकृत है। उक्त भूखण्ड पर श्री घनश्याम दास का मालिकाना हक व अधिकार चला आ रहा है। श्री घनश्याम दास का देहावसान दिनांक 07.08.1988 को हो चूका है, व श्रीमति घासी बाई पत्नि श्री घनश्याम दास का देहावसान दिनांक 27.01.2015 को जाने के उपरान्त उनके विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी होने के नाते जरिये रजिस्टर्ड रिलिज डीड (हक त्याग) जिसका पंजियन कार्यालय उप पंजियक कोटा में दिनांक 13.12.2021 को पंजिकृत है, के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबन्ध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञिप्त जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत है। बाद दिनांक आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण